



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 अगस्त, 2004

श्रावण 22, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1228/सात-वि-1—1(क)17-2004

लखनऊ, 13 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 पर दिनांक 12 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए एक राज्य प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह 21 जून, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में, जब तक कि संन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(ग) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण के शासी परिषद् से है;

(ङ) "समिति" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से है;

(च) "कर्मचारी" का तात्पर्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक या प्राधिकरण द्वारा यथाविनिश्चित अवधि के लिए सेवारत व्यक्ति से है;

(छ) "राज्य राजमार्ग" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय राज्य राजमार्ग जिसके अन्तर्गत उस पर के पुल भी हैं के रूप में घोषित किसी राजमार्ग से है।

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

प्राधिकरण की
स्थापना

3-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक प्राधिकरण की स्थापना की जायगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

शासी परिषद्

4-शासी परिषद् प्राधिकरण की उच्चतम नीति निर्माता निकाय होगी और उसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। परिषद् के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष
(ख) मंत्री, वित्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ग) मंत्री, नियोजन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(घ) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ङ) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(च) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(छ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ज) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(झ) दो विशेषज्ञ जो शासी परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे;	विशेषज्ञ-सदस्य
(ञ) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य संयोजक

शासी परिषद् के
सदस्यों की
पदावधि और
सेवा शर्तें

5-(1) विशेषज्ञ सदस्यों से भिन्न शासी परिषद् के सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे।

(2) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों को, जिनमें से एक अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन या बैंकिंग के क्षेत्र का, और दूसरा सिविल (अधिमानतः, सड़क) निर्माण के क्षेत्र का, होगा, परिषद् द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

6-कोई व्यक्ति शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-

(क) ऐसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अघमता अन्तर्गस्त है; या

(ख) अनुन्मोचित दीवालिया है; या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(घ) सरकार की या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है, जिसका शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके द्वारा कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

7-(1) शासी परिषद् के अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होंगे और उन अधिवेशनों में किये जाने वाले कार्य के बारे में, जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाएं।

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष शासी परिषद् के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, उपाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष आएँ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का, अथवा उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का, दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

8-शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी, कि-

(क) शासी परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या

(ग) शासी परिषद् द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

9-एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसका प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा। यह समिति शासी परिषद् को रिपोर्ट देगी और वह ऐसे कृत्यों के प्रति उत्तरदायी होगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो शासी परिषद् द्वारा विहित किये जायं अथवा उसे सौंपे जायं।

10-कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष
(ख) सदस्य (वित्त)	सदस्य
(ग) सदस्य (प्राविधिक)	सदस्य
(घ) सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

11-कार्यकारिणी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्य (वित्त), सदस्य (प्राविधिक) और सदस्य (प्रशासन) प्राधिकरण के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे और उनकी नियुक्ति की रीति तथा उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता

शासी परिषद् के अधिवेशन

शासी परिषद् में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति का गठन

समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें

प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

12-(1) अपने कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उतनी संख्या में जैसा वह आवश्यक समझे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जैसा विनियमों में अधिकथित किया जाय नियुक्त करेगा।

(2) प्राधिकरण समय-समय पर, किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें, नियुक्त कर सकेगा।

प्राधिकरण का कारबार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना

13-इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सके, कारबार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा।

अध्याय-3

सम्पत्ति और संविदा

प्राधिकरण में कोई भी राज्य राजमार्ग निहित करने या उसे सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति

14-राज्य सरकार, समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी।

राज्य सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकरण को अन्तरण

15-(1) धारा 14 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को और से-

(क) ऐसे दिन से ठीक पहले, उस धारा के अधीन प्राधिकरण में निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें प्राधिकरण के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के वचनबद्ध समझी जाएंगी;

(ख) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गये किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उस दिनांक तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित सभी अनावर्ती व्यय ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी पूंजी मानी जाएगी;

(ग) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में उस दिनांक से ठीक पहले राज्य सरकार को देय सभी राशियां प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी;

(घ) ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी मामले की बाबत उस दिनांक से ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गयी हो, या संस्थित की जा सकती थी, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी या संस्थित की जा सकेगी।

(2) यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि राज्य सरकार की आस्तियों अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकरण को अन्तरित कर दिये गए हैं, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण के लिए भूमि का अर्जन

16-इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि, लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जायेगी और प्राधिकरण के लिए ऐसी भूमि का अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा।

17-धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसी सम्पादित करने के लिए सक्षम होगा। प्राधिकरण द्वारा संविदाएं

18-(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे प्राधिकरण इस निमित्त साधारण या विशिष्टतया शक्त करे और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएंगी। प्राधिकरण की ओर से संविदाएं करने का ढंग

परन्तु अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो:-

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी संविदा का प्रारूप और रीति ऐसी होगी, जैसी विनियमों द्वारा अधिकथित की जाए।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबन्धों अनुसार नहीं है, प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी।

अध्याय-4

प्राधिकरण के कृत्य

19-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह राज्य राजमार्गों तथा राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित किए गए या उसे सौंपे गये अन्य किसी राज्यमार्ग का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध इस रीति से करे जिससे कि प्राधिकरण राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए उसकी स्थापना के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर सरकारी निधिकरण से पूर्णतः अनाश्रित हो जाए। प्राधिकरण के कृत्य

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए-

(क) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों का सर्वेक्षण, विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध कर सकेगा और उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ,-

(एक) उसे सौंपे गये राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करे;

(दो) अनुरक्षण संक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वैज्ञानिक खडंजा प्रबन्ध प्रणाली का विकास करेगा और राज्य राजमार्गों के रूपांकन और निर्माण के लिए मानक निर्धारित करे;

(तीन) निजी और संस्थागत निधिकरण को, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय निधिकरण भी है, सड़क सेक्टर में लाने के लिए प्रतिरूप विकसित करेगा;

(चार) राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए उच्च कोटि के निजी संविदाकारों द्वारा निष्पादन पर आधारित अनुरक्षण प्रणाली की पद्धति का विकास करेगा;

(पांच) इन राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन करने के लिए संस्थागत संसाधन जुटाएगा;

(छः) इन प्रयोजनों के लिए निजी भागीदारी और संसाधन का प्रोत्साहन करते समय अनुमोदित योजना के अनुसार राजमार्गों का अनुरक्षण और उन्नयन करेगा।

(ख) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों के उचित प्रबन्ध के लिए उस पर यानों के चलाए जाने की विनियमित और नियन्त्रित कर सकेगा;

(ग) राज्य में परामर्शदात्री और निर्माण सेवाओं का विकास और व्यवस्था कर सकेगा और राजमार्गों के विकास अनुरक्षण और प्रबन्ध के सम्बन्ध में या उन पर किन्हीं सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान क्रिया-कलाप चला सकेगा;

(घ) उनमें निहित या उरो सौंपे गए राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी सुविधाओं और प्रसुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा, जो प्राधिकरण की राय में ऐसे राजमार्गों पर यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए आवश्यक हों;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों का अधिक दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन एक या अधिक कम्पनियां बना सकेगा;

(च) अपने कृत्यों में से किसी कृत्य को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा विहित किया जाय किसी व्यक्ति को सौंप सकेगा या काम पर लगा सकेगा।

(छ) राज्य राजमार्गों से सम्बन्धित विषयों के बारे में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा;

(ज) राज्य सरकार की ओर से फीस ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी उस राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, एकत्रित कर सकेगा;

(झ) ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकरण की प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या उस पर अधिरोपित किसी कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो या उनके आनुषंगिक हों।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह—

(क) प्राधिकरण द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत करती है; या

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कर्तव्य या दायित्व की बाबत, जिसके अधीन प्राधिकरण या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा न हों, कोई कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अध्याय-5

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

20—राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा, राज्य विधान मण्डल द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात्,—

(क) ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे, ऐसी पूंजी की व्यवस्था कर सकती है, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए या उससे सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाय;

(ख) प्राधिकरण को ऋण या अनुदान स्वरूप ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, का भुगतान ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकती है जैसाकि राज्य सरकार अवधारित करे।

21—(1) एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जायगा:—

(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई अनुदान या सहायता;

(ख) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा लिया गया कोई उधार;

(ग) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई अन्य राशि।

राज्य सरकार
द्वारा प्राधिकरण
को अनुदान और
अतिरिक्त पूंजी

प्राधिकरण की
निधि

(2) उक्त निधि का उपयोग निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जायगा :-

(क) ऐसे अनुदानों, उधारों या ऋणों के प्रयोजनों को, जिनके लिए वे प्राप्त हुए हैं, ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के लिए व्यय;

(ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, अन्य पारिश्रमिक या सुविधाएं;

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिए व्यय।

22-प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, अगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपन बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जायेंगे और इसे वह राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

बजट

23-प्राधिकरण, अपनी निधियों (जिनके अन्तर्गत कोई आरक्षित निधि है) का विनिधान, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाए कर सकेगा।

निधियों का विनिधान

24-(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए, राज्य सरकार की सम्मति से या राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबन्धनों के अनुसार बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या ऐसी ही अन्य लिखतों का, जैसी वह ठीक समझे, निर्गमन करके, किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकेगा।

प्राधिकरण को उधार लेने की शक्ति

(2) प्राधिकरण ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर अधिकथित करे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित रकम, ओवर ड्राफ्ट के रूप में या अन्यथा अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा।

(3) राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन लिए गये उधारों की बाबत, मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभूति कर सकेगी।

25-प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो निहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलाप का पूरा ब्यौरा देगा और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

26-प्राधिकरण का लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से, ऐसी रीति से रखा जाएगा और उसकी लेखा परीक्षा ऐसे की जाएगी जो विहित की जाय तथा प्राधिकरण ऐसे लेखाओं की एक लेखा-परीक्षित प्रति, तत्संबंधी लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ ऐसे दिनांक जैसाकि विहित की जाए, से पूर्व राज्य सरकार को भेजेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

27-राज्य सरकार विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

अध्याय-6

प्रकीर्ण

28-शासी परिषद् साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष या परिषद् की उप समिति या कार्यकारिणी समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, जिन्हें वह आवश्यक समझे, कर सकेगा, इसके सिवाय निम्नलिखित कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग केवल परिषद् द्वारा किया जाएगा;

शक्तियों का प्रत्यायोजन

(क) बाजार या वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक निधियों को उधार लेना। इसमें कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक निधियों और ओवर ड्रापट की व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त करना, जिनका मूल वेतन नियमावली में यथाविहित किसी धनराशि से अधिक हो।

(ग) प्राधिकरण के कार्य के लिए विनियमों का बनाया जाना और यदि अपेक्षित हो तो उनमें संशोधन करना।

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

29—प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

प्राधिकरण के कर्मचारियों का लोक सेवक होना

30—प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तब भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ में और राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली या निदेशों के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण

31—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन में सदभावपूर्वक की गई या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या सम्भाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

कतिपय संकर्मों का भार ग्रहण करने की प्राधिकरण की शक्ति

32—प्राधिकरण, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किन्हीं संकर्मों या सेवाओं या संकर्मों या सेवाओं के किसी वर्ग को कार्यान्वित करने का भार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ग्रहण कर सकेगा जो प्राधिकरण और राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के बीच तय पायी जायें।

प्रवेश करने की शक्ति

33—इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा साधारण या विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और—

(क) निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप मूल्यांकन या जांच कर सकेगा;

(ख) तलमाप ले सकेगा;

(ग) खोद कर या अवमृदा के भीतर वेधन कर सकेगा;

(घ) संकर्म की सीमाएं और आशयित रेखाएं लगा सकेगा;

(ङ) चिन्ह लगाकर और खाइयां खोदकर ऐसा तल, सीमा रेखाएं और रेखाएं चिन्हित कर सकेगा; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा, जो विहित की जायें:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी सीमा के भीतर या निवास गृह से संलग्न, किसी धिरे आंगन या बाग में प्रवेश करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घण्टे की लिखित सूचना ऐसे अधिमोगी को पहले ही दिया बिना (ऐसा करने के लिए उसके अधिमोगी की सहमति के सिवाय) प्रवेश नहीं करेगा।

34-(1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी, कि वह किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास अनुरक्षण या प्रबन्ध ऐसे दिनांक से और ऐसी अवधि के लिए और ऐसे व्यक्ति को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, सौंप दे और प्राधिकरण ऐसे निदेश को अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

किसी राज्य राजमार्ग के प्रबन्ध से प्राधिकरण को अस्थायी रूप से वर्णित करने की राज्य सरकार की शक्ति

(2) जहां किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास, अनुरक्षण या प्रबन्ध उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को (जिसे आगे इस धारा में प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), सौंपा जाता है वहां प्राधिकरण ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन ऐसे अनुदेशों के, यदि कोई हो, अनुसार किया जाएगा, जो प्राधिकृत व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

परन्तु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या कृत्य का निर्वहन नहीं किया जाएगा जिसे राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) में वर्णित अवधि को जैसा वह आवश्यक समझे घटा या बढ़ा सकेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के प्रवर्तन के दौरान, राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह प्राधिकरण को समय-समय पर ऐसे निदेश दे जो उस राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, जिसका प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपा गया है, उस प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए और विशिष्टतया राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रबन्ध के लिए प्राधिकरण की निधि से कोई धनराशि उस प्राधिकृत व्यक्ति को अन्तरित करने के लिए, आवश्यक हो और प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक निदेश का अनुपालन करेगा।

(5) किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर, प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन जारी रखेगा।

(6) किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर, प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी कोई संपत्ति (जिसके अन्तर्गत कोई धनराशि या अन्य आस्ति भी है) जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रबन्ध में उसके पास शेष रही हो, प्राधिकरण को सौंप देगा।

35-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित्त करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :-

(क) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्य (प्राविधिक), सदस्य (वित्त) और सदस्य (प्रशासन) की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समिति के अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य;

(ग) ऐसे निबन्धन और शर्तों जिनके अधीन रहते हुए राज्य राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उपगत अनावर्ती व्यय, धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के लिए उपबन्धित पूंजी के रूप में माना जाएगा;

(घ) धारा 28 के खण्ड (ख) के अधीन मूल वेतन;

(ङ) ऐसे निबन्धन और शर्तों, जिनके अधीन रहते हुए धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के कृत्यों को न्यस्त किया जाय;

(च) ऐसा प्रारूप जिसमें और समय जिसके भीतर प्राधिकरण धारा 22 के अधीन अपना बजट और धारा 25 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(छ) ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण धारा 23 के अधीन अपनी निधि को विनिहित कर सकेगा;

(ज) ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण के लेखे धारा 26 के अधीन रखे जायेंगे और उनकी लेखा परीक्षा कराई जाएगी तथा ऐसा दिनांक जिसके पूर्व लेखाओं की सम्परीक्षित प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, राज्य सरकार को भेजी जाएगी;

(झ) धारा 33 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग से सम्बन्धित शर्तों और निबन्धन;

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सके।

विनियम बनाने
की प्राधिकरण
की शक्ति

36-(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभावं डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) परिषद् और समिति के अधिवेशन के लिए समय और स्थान, और ऐसे अधिवेशनों में किए जाने वाले कारवार के संव्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

(ख) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तों, भर्ती, की पद्धति और पारिश्रमिक;

(ग) ऐसा प्रारूप जिसमें और ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण द्वारा कोई संविदा की जा सकेगी और ऐसी संविदाएं या संविदाओं के वे वर्ग, जिन्हें प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित किया जाना है।

(घ) राज्य राजमार्ग के सामान्य कार्यकरण के लिए उसके ऊपर की बाधाओं को निवारित करने की रीति,

(ङ) राज्य राजमार्ग पर, प्राधिकरण, द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थानों पर, किसी यान या गाड़ी के ठहरने या प्रतीक्षा में रखने के प्रतिषेध की रीति;

(च) राज्य राजमार्ग के किसी भाग तक पहुंच को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की रीति;

(छ) राज्य राजमार्ग पर और उसके आसपास विज्ञापन के विनियमन या निर्बन्धन करने की रीति;

(ज) प्राधिकरण के कारबार के जिसके अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधान भी है, संव्यवहार की रीति, और

(झ) सामान्यतया राज्य राजमार्गों का दक्ष और उचित प्रबन्ध और अनुरक्षण।

37-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिरूचना द्वारा ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से अरांगत न हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 9 सन्
2004

38-(1) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य राजमार्गों के उच्चिकरण एवं सुदृढीकरण को गतिशीलता देने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1988) के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाया जाय। प्राधिकरण का मुख्य कृत्य राज्य राजमार्गों और राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित किए गये या उससे सौंपे गये अन्य किसी राजमार्ग का विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध करना होगा। प्राधिकरण की एक शासी परिषद् होनी चाहिए जो उक्त प्राधिकरण की उच्चतम नीति निर्माता निकाय होगी। शासी परिषद् की प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होनी चाहिए।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जून, 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा
प्रमुख सचिव।

No. 1228(2)/VII-V-1-1(Ka)17-2004

Dated Lucknow, August 13, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajy Rajmarg Pradhikaran Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2004 :—

THE UTTAR PRADESH STATE HIGHWAYS AUTHORITY ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 19 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to provide for the Constitution of a State Authority for the development, maintenance and management of State Highways and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Highways Authority Act, 2004.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on June 21, 2004.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "Authority" means the Uttar Pradesh State Highways Authority, established under section 3;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(c) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Authority;

(d) "Council" means the Governing Council of the Authority constituted under section 4;

(e) "Committee" means the Executive Committee of the Authority constituted under section 9;

(f) "Employee" means a person in the full-time service of the Authority or for such period as may be decided by the Authority;

(g) "State Highway" means any highway including bridges thereon for the time being declared as a State Highway by the State Government.

CHAPTER-II

The Uttar Pradesh State Highways Authority

Establishment of the Authority

3.(1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint in this behalf, there shall be established for the purposes of this Act an Authority to be called the Uttar Pradesh State Highways Authority.

(2) The Authority shall be a body corporate.

Governing Council

4. The Governing Council shall be the highest policy making body of the Authority and shall be Chaired by the Chief Minister of the State. The other members of the Council shall be:

(a) the Minister, Public Works Department, Uttar Pradesh Vice-Chairperson

(b) the Minister, Finance, Uttar Pradesh Member

(c) the Minister, Planning, Uttar Pradesh Member

(d) the Chief Secretary, Uttar Pradesh Member

(e) the Principal Secretary, Finance, Uttar Pradesh Member

(f) the Principal Secretary, Planning, Uttar Pradesh Member

(g) the Principal Secretary, Public Works Department, Uttar Pradesh Member

(h) the Engineer-in-Chief, Public Works Department, Uttar Pradesh Member

(i) two experts to be nominated by the Governing Council Expert-Members

(j) the Chief Executive Officer of the Authority Member Convener

Terms of office and conditions of service of the members of the Governing Council

5.(1) All members of the Governing Council, other than expert-members, shall be *ex-officio* members.

(2) The Expert-Members of the Governing Council, one from the field of economics, finance, administration or banking and the other from the field of civil (preferably, road) construction, shall be nominated by the Council for a period of three years and other conditions of their service shall be such as may be prescribed.

6. A person shall be disqualified for being appointed as an expert-member of the Governing Council if he,—

Disqualification for appointment as expert-members of the Governing Council

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involved moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the State Government; or

(e) has, in the opinion of the State Government, such financial or other interest in the Authority as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as an expert-member of the Governing Council.

7.(1) The Governing Council shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure, in regard to the transaction of business at its meetings, including the quorum threat, as may be provided by regulations.

Meetings of the Governing Council

(2) If for any reason the Chairperson is unable to attend any meeting of the Governing Council, the Vice-Chairperson shall preside at the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

8. No act or proceeding of the Governing Council shall be invalidated merely by reason of,—

Vacancy in the Governing Council not to invalidate proceedings

(a) Any vacancy in, or any defect in the Constitution of, the Governing Council; or

(b) Any defect in the appointment of a person acting as an expert-member of the Governing Council; or

(c) Any irregularity in the procedure adopted by the Governing Council not affecting the merits of the case.

9. There shall be an Executive Committee headed by the Chief-Executive Officer. The Committee shall report to the Governing Council and shall be responsible for such functions and exercise such powers as may be prescribed or assigned to it by the Governing Council.

Executive Committee

10. The Executive Committee shall consist of,—

(a) Chief-Executive Officer *Chairperson*

(b) Member (Finance) *Member*

(c) Member (Technical) *Member*

(d) Member (Administration) *Member*

Constitution of the Executive Committee

11. The Chief-Executive Officer and the Member (Finance), Member (Technical) and Member (Administration) of the Executive Committee shall be full time employees of the Authority and the method of their appointment and the terms and conditions of their service shall be such as may be prescribed.

Terms and conditions for appointment of Chief-Executive Officer and Members of the Committee
Appointment of officers, consultants and other employees of the Authority

12. (1) For the purpose of discharging its functions, the Authority shall appoint such number of officers and other employees as it may consider necessary on such terms and conditions as may be laid down in the regulations.

(2) The Authority may appoint, from time to time, any person as adviser or consultant as it may consider necessary, on such terms and conditions as may be laid down in the regulations.

Authority to act
on business
principles

13. In the discharge of its function under this Act, the Authority shall act, so far as may be, on business principles.

CHAPTER-III

Property and Contracts

Power of the
State
Government to
vest or entrust
any State
highway in the
Authority

14. The State Government may, from time to time, by notification in the Gazette, vest in, or entrust to, the Authority, such state highway or any stretch thereof as may be specified in such notification.

Transfer of
assets and
liabilities of the
State
Government to
the Authority

15. (1) On and from the date of publication of the notification under section 14,—

(a) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for, the State Government, immediately before such date for or in connection with the purposes of any state highway or any stretch thereof vested in, or entrusted to, the Authority under that section, shall be deemed to have been incurred, entered into and engaged to be done by, with or for, the Authority;

(b) all non-recurring expenditure incurred by or for the State Government for or in connection with the purposes of any state highway or any stretch thereof, so vested in, or entrusted to, the Authority, up to such date and declared to be capital expenditure by the State Government shall, subject to such terms and conditions as may be prescribed, be treated as capital provided by the State Government to the Authority;

(c) all sums of money due to the State Government in relation to any state highway or any stretch thereof, so vested in, or entrusted to, the Authority immediately before such date shall be deemed to be due to the Authority;

(d) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the State Government immediately before such date for any matter in relation to such state highway or any stretch thereof may be continued or instituted by or against the Authority.

(2) If any dispute arises as to which of the assets, rights or liabilities of the State Government have been transferred to the Authority, such dispute shall be decided by the State Government.

Acquisition of
land for the
Authority

16. Any land required by the Authority for discharging its functions under this Act shall be deemed to be land needed for a public purpose and such land may be acquired for the Authority under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894.

Contracts by the
Authority

17. Subject to the provisions of section 18, the Authority shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act.

Mode of
executing
contracts on
behalf of the
Authority

18. (1) Every contract shall, on behalf of the Authority, be made by the Chief Executive Officer of the Authority as may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and such contract or classes of contracts as may be specified in the regulations shall be sealed with the common seal of the Authority:

Provided that no contract for the sale of immovable property shall be made unless it has been previously approved by the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the form and manner in which any contract shall be made under this Act shall be such as may be laid down in the regulations.

(3) A contract which is not in accordance with the provisions of this Act, Rules and the regulations shall not be binding on the Authority.

CHAPTER-IV

Functions of the Authority

Functions of
the Authority

19.(1) Subject to the rules made under this Act, it shall be the function of the Authority to develop, maintain and manage the state highways and any other highways vested in, or entrusted to it, by the State Government in the manner that the authority becomes largely independent of Government funding for the maintenance of the Highways within three years from the date it is set up.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Authority may, for the discharge of its functions,—

(a) Survey, develop, maintain and manage highways vested in, or entrusted to it and to achieve whereof the Authority will, *inter-alia*,—

(i) prepare immediate and long-term plans for the maintenance and up-gradation of the State Highways that are entrusted to it;

(ii) develop a scientific Pavement Management System for systematizing the maintenance operations and also lay down the standards for design and construction of state highways;

(iii) develop models for bringing in private and institutional, including international funding into the road sector;

(iv) develop methods of performance based maintenance systems for maintenance of the state highways by quality private contractors;

(v) raise institutional resources for undertaking the maintenance and up-gradation of these highways;

(vi) maintain and upgrade the highways as per approved plan while encouraging private partnership and resources for these purposes;

(b) regulate and control and the plying of vehicles on the highways vested in, or entrusted to, it for the proper management thereof;

(c) develop and provide constancy and construction services in the State and carry on research activities in relation to the development, maintenance and management of highways or any facilities thereat;

(d) provide such facilities and amenities for the users of the highways vested in, or entrusted to, it as are, in the opinion of the Authority, necessary for the convenience and smooth flow of traffic on such highways;

(e) form one or more companies under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) to further the efficient discharge of the functions imposed on it by this Act;

(f) engage, or entrust any of its functions to, any person on such terms and conditions as may be prescribed;

(g) advise the State Government on matters relating to State highways;

(h) collect fees on behalf of the State Government on such terms and conditions as may be specified by the State Government; and

(i) take all such steps as may be necessary or convenient for, or may be incidental to, the exercise of any power or the discharge of any function conferred or imposed on its by this Act.

(3) Nothing contained in this section shall be construed as:—

(a) authorizing the disregard by the Authority of any law for the time being in force; or

(b) authorizing any person to institute any proceeding in respect of a duty or liability to which the Authority or its officers or other employees would not otherwise be subject under this Act.

CHAPTER V

Finance, Accounts and Audit

Additional capital and grants to the Authority by the State Government

20. The State Government may, after due appropriation made by State Legislature, by law in this behalf,—

(a) provide any capital that may be required by the Authority for the discharge of its functions under this Act or for any purpose connected therewith on such terms and conditions as the State Government may determine;

(b) pay to the Authority, on such terms and conditions as the State Government may determine, by way of loans or grants such sums of money as the State Government may consider necessary for the efficient discharge by the Authority of its functions under this Act.

Fund of the Authority

21. (1) There shall be constituted a Fund to be called the Uttar Pradesh State Highways Authority Fund and there shall be credited thereto,—

(a) any grant or aid received by the Authority;

(b) any loan taken by the Authority or any borrowings made by it;

(c) any other sums received by the Authority.

(2) The Fund shall be utilized for meeting—

(a) expenses of the Authority in the discharges of its functions having regard to the purposes for which such grants, loans or borrowings are received and for matters connected therewith or incidental thereto;

(b) salary, allowances, other remuneration and facilities provided to the members, officers and other employees of the Authority;

(c) expenses on objects and for purposes authorized by this Act.

Budget

22. The Authority shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the State Government.

Investment of funds

23. The Authority may invest its funds (including any reserve fund) in the securities of the State Government or in such other manner as may be prescribed.

Borrowing powers of the Authority

24. (1) The Authority may, with the consent of the State Government or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by the State Government, borrow money from any source by the issue of bonds, debentures or such other instruments as it may deem fit for discharging all or any of its functions under this Act.

(2) Subject to such limits as the State Government may, from time to time, lay down, the Authority may borrow temporarily by way of overdraft or otherwise, such amounts as it may require for discharging its functions under this Act.

(3) The State Government may guarantee in such manner as it thinks fit the repayment of the principal and the payment of interest thereon with respect to the borrowings made by the Authority under sub-section (1).

Annual report

25. The Authority shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the State Government.

26. The accounts of the Authority shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountant General of the State be prescribed and the Authority shall furnish, to the State Government before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with the auditor's report thereon.

Accounts and audit

27. The State Government shall cause the annual report and auditor's report to be laid, as soon as may be, after they are received, before each House of Legislature.

Annual report and auditor's report to be laid before legislature

CHAPTER VI

Miscellaneous

28. The Governing Council may, by general or special order in writing delegate to the Chairperson or a sub-committee of the Council or to the Executive Committee or to Chief-Executive Officer or any officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act as it may deem necessary except that the following functions and powers shall be exercised only by the Council :—

Delegation of Powers

(a) to borrow long term funds from the market or financial institutions. This will not include arranging short-term funds and overdraft to meet the working capital requirements.

(b) to appoint officers or employees whose basic pay exceeds a sum as prescribed in rules;

(c) framing regulations for the working of the authority and, if required, amendments thereto.

(d) any other matter, as may be prescribed.

29. All orders, decisions and other instruments of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any officer of the Authority authorized by it in this behalf.

Authentication of orders and other instruments of the Authority

30. All members, officers and employees of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of any rule or regulation made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860) and under the rules or directions made by the State Government.

Employees of the Authority to be public servants

31. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer of employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Protection of action taken in good faith

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer or employee of the Authority for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

32. The Authority may undertake to carry out on behalf of the State Government or any local authority any works or services or any class of works or services on such terms and conditions as may be agreed upon between the Authority and the State Government or the local authority concerned.

Power of the Authority to undertake certain works

33. Subject to any regulations made in this behalf any person, generally or specially authorized by the Authority in this behalf, may, whenever it is necessary so to do for any of the purposes of this Act, at all reasonable times, enter upon any land or premises, and—

Power to enter

(a) make any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry;

- (b) take levels;
- (c) dig or bore into sub-soil;
- (d) set out boundaries and intended lines of work;
- (e) mark such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or
- (f) do such other acts or things as may be prescribed :

Provided that no such person shall enter any boundary or any enclosed court or garden attached to a dwelling house (except with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

Power of the State Government to temporarily divest the Authority of the management of any State Highway

34. (1) If, at any time, the State Government is of opinion that in the public interest it is necessary or expedient so to do, it may, by order, direct the Authority to entrust the development, maintenance or management of any State Highway or a part thereof with effect from such date and for such period and to such person as may be specified in the order and the Authority shall be bound to comply with such direction.

(2) Where development, maintenance or management of any State Highway or part thereof is entrusted to any person specified under sub-section (1) (hereafter in this section referred to as the authorized person), the Authority shall cease to exercise and discharge all its powers and functions under this Act in relation to such highway or part thereof and such powers and functions shall be exercised and discharged by the authorized person in accordance with the instructions, if any, which the State Government may give to the authorized person from time to time :

Provided that no such power or function as may be specified by the State Government by a general or special order shall be exercised or discharged by the authorized person except with the previous sanction of the State Government.

(3) The State Government may reduce or extend the period mentioned in sub-section (1) as it considers necessary.

(4) During the operation of an order made under sub-section (1), it shall be competent for the State Government to issue, from time to time, such directions to the Authority as are necessary to enable the authorized person to exercise the powers and discharge the functions of the Authority under this Act in relation to the State Highway or part thereof, the management of which has been entrusted to him and in particular, to transfer any sum of money from the Fund of the Authority to the authorized person for the management of the State highway or part thereof and every such direction shall be complied with by the Authority.

(5) On the cessation of operation of any order made under sub-section (1) in relation to any State Highway or part thereof, the authorized person shall cease to exercise and perform the powers and functions of the Authority under this Act in relation to such State highway or part thereof and the Authority shall continue to exercise and perform such powers and functions in accordance with the provisions of this Act.

(6) On the cessation of operation of any order made under sub-section (1) in relation to any State highway or part thereof, the authorized person shall hand over to the Authority any property (including any sum of money or other asset) remaining with him in connection with the management of such highway or part thereof.

Power of the State Government to make rules

35. (1) The State Government may, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) the terms of office and other conditions of service of the expert-members of the Governing Council Chief-Executive Officer and Member (Technical), Member (Finance) and Member (Administration);

(b) the powers and duties of the Chairperson, Chief Executive Officer and other members of the Committee;

(c) the terms and conditions subject to which the non-recurring expenditure incurred by or for the State Government for or in connection with the purposes of any State highway shall be treated as capital provided by the State Government to the Authority under clause (b) of sub-section (1) of section 15;

(d) the basic salary under clause (b) of section 28;

(e) the terms and conditions subject to which the functions of the Authority may be entrusted to any person under clause (f) or sub-section (2) of section 19;

(f) the form in which and the time within which the Authority shall prepare its budget under section 22 and its annual report under section 25;

(g) the manner in which the Authority may invest its funds under section 23;

(h) the manner in which the accounts of the Authority shall be maintained and audited and the date before which the audited copy of the accounts together with the auditor's report thereon shall be furnished to the State Government under section 26;

(i) the conditions and restrictions with respect to the exercise of the power to enter under section 33;

(j) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

36. (1) The Authority may, by notification in the *Gazette*, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

Power of the Authority to make regulations

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the times and places of the meetings of the Council and the Committee and the procedure to be followed for the transaction of business at such meetings;

(b) the terms and conditions of service, method of recruitment and the remuneration of officers and other employees appointed by the Authority;

(c) the form and manner in which a contract or class of contracts may be made by the Authority and the contracts or classes of contracts which are to be sealed with the common seal of the Authority;

(d) the manner of preventing obstructions on the State highways for their normal functioning;

(e) the manner of prohibiting the parking or waiting of any vehicle or carriage on the State highway except as places specified by the Authority;

(f) the manner of prohibiting or restricting access to any part of the State highway;

(g) the manner of regulating or restricting advertisements on and around State highway;

(h) the manner of transaction of the business of the authority including the delegation of powers; and

(i) generally for the efficient and proper maintenance and management of the State highways.

Power to remove difficulties

37. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, may by notification in the *Gazette*, make such order not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Legislature.

Repeal and saving

38. (1) The Uttar Pradesh State Highways Authority Ordinance, 2004 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 9 of 2004

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to motivating advancement and strengthening of the State Highways it was decided to make a law to provide for the establishment of the Uttar Pradesh State Highways Authority on the lines of the National Highways Authority of India Act, 1988 (Act no. 68 of 1988). The main functions of the Authority would be to develop, maintain and manage the State Highways and any other highways vested in, or entrusted to, it by the State Government. The Authority should consist of the Governing Council which will be the highest policy making body of the said Authority. There should be an Executive Committee to assist the Governing Council in discharging the functions of the Authority.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Highways Authority Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance No. 9 of 2004) was promulgated by the Governor on June 17, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

D. V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 348 राजपत्र-(हिन्दी)-2004-(934)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 155 सा० विधायी-2004-(935)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।